

## देवर नौ बी अधिकारीगिक विभाग प्राधिकरण

आवासाय नूखण्ड योजना - 2011 (01)

प्राप्ति काउंट-इनमें 02,

### महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रक्रम होने की तिथि	योजना समाप्ति की तिथि
01.03.2011	26.03.2011

#### (1) पात्रता / अहं प्राधिकरण कर्मचारी

1. इस योजना में प्राधिकरण के अहं कर्मचारी से अभियाय योजना की अनिष्ट तिथि तक गेटर नौएडा अधिकारीगिक विभाग प्राधिकरण या अन्य आवेदन अधिकारीगिक विभाग द्वारा जारी अहंता योग्य अवधान के साथ प्रत्युत करना अनियाय होगा। नौएडा / गेटर नौएडा प्राधिकरण में प्रतिशेष्युति पर तैनाल अधिकारी / कर्मचारी आवेदन हेतु पात्र नहीं होगे।
2. यदि आवेदक की प्राधिकरण द्वारा रद्दाफ भवन आवित है तो उसे आवेदित भूखण्ड पर भवन विर्माण करने के पश्चात रद्दाफ भवन खाली करना होगा। विलम्ब होने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित वाजार दर पर किराया / दण्ड देय होगा।
3. इस श्रेणी में आवेदित भूखण्ड / उस पर नियमित भवन को आवेदन की तिथि से 10 वर्षों तक अन्तरित करने की अनुमति नहीं होगी।
4. नौएडा / गेटर नौएडा के लिए कर्मियों को इस योजना में भूखण्ड आवेदित होगे, उनका रद्दाफ कोटा सामाजि हो जायेगा एवं वे भविष्य में नौएडा / गेटर नौएडा प्राधिकरण की किसी भी योजना में रद्दाफ कोटे के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु पात्र नहीं रह जायेगे।

यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी भूखण्ड आवेदित होने के कुछ रासम बाद अपनी नौकरी से त्याग-पत्र दे देता है तो उस परिस्थिति में वह इस आवेदित भूखण्ड को आवेदन तिथि से 10 वर्षों तक अन्तरित नहीं कर सकता।

यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी आवेदित भूखण्ड को 10 वर्षों से पहले देयता / अन्तरित करता है या इस भूखण्ड का GPA किसी अन्य कर्मचारी के होता है तो ऐसी GPA पैर कानूनी गानी जादेही। ऐसा पाये जाने पर प्राधिकरण आवेदित भूखण्ड के साथेक जमा गरायी गई समस्त धनराशियों की वापर करके भूखण्ड को निरस्त कर देगा और कल्जा वापस प्राप्त कर लेगा और फिर अन्य किसी आवासीय योजना के लिए उसको कोई भी भूमाल नहीं दिया जायगा।

5. प्राधिकरण के कर्मचारी / अधिकारी अपने दंतनमान के गेड-पे के अनुसार सिम्मानूसार भूखण्ड मालाल (size) के आवास में (पात्रता) -

क्रम सं	दंतनमान	दंतनमान का गेड-पे (रुपये में)	आवास का अनुमति वर्गीकरण
1.	15600-39100 से अधिक	5401 से अधिक	300 वर्गमीटर तक
2.	9300-34800 से 15600-39100 तक	4201 से 5400 तक	200 वर्गमीटर तक
3.	5200-28200 से 9300-34800 तक	1900 से 4200 तक	162 वर्गमीटर तक
4.	4200-20800	1800	120 वर्गमीटर तक

यदि पति और पत्नी दोनों नौएडा / गेटर नौएडा प्राधिकरण में नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं तो अपने दुनियांसित दंतनमान की गण-पे से अनुसार अनुमन्य आकार से अधिक छहीं श्रेणी के भूखण्ड के लिये आवेदन कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी अपनी लम्हाकृत वहां से लाभ ले सकती है तो उसे योजना की अनिष्ट तिथि से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से सिविल अनुमति प्राप्त करनी होगी।

6. आवेदक, उनके पति / पत्नी अथवा अधिकत वर्चों के नाम पूर्ण रूप से अथवा आधिक रूप से कोई भी आवासीय भवन, आवासीय भूमाल वापर के लिए पर्टेंट / किराया क्रय अधिकृत अनुबंध (HTPA) के अधार पर प्राधिकरण द्वारा आवेदित नहीं है। आवेदक उनके पति / पत्नी अपना दावा करके केवल एक भूखण्ड के आवेदन करने हेतु अहं होगा।  
नोट: नौएडा / गेटर नौएडा कर्मचारी रास्ते हेतु राफल आवेदकों का भूखण्ड श्रेणी-वर वर्षन, सावधान गणिकरण के द्वारा नियमित भूखण्ड सूची के आधार पर किया जायेगा। यिनिदिन भूखण्ड राख्या, सावधान भूखण्ड श्रेणी में अन्य आवेदकों के द्वारा नियमित भूमाल द्वारा कियोरित की जायेगी। आवेदकों का कार्मिक विभाग नौएडा / गेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा नियमित भूमाल होगी।

#### REFERENCES AND NOTES

### (1) पुस्तिकरण द्वारा प्रक्रिया

દેશભક્તિ -

- रादि विस्तीर्णी आवेदक द्वारा योजना के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों हतुआवेदन किया जाता है तो ऐसे आवेदक का गड़-पैके के अनुसार उसको श्रेणी निर्धारित करते हुये एक आवेदन को रद्दीकर करते हुए रोम आवेदनों को निरस्त कर पर्जीकरण भनाराशी बाप्पा कर दी जाती है।
  - अपूर्ण आवेदन पत्र सारांशतया निरस्त कर दिये जायेंगे।
  - आवेदक का दैक का नाम एवं शाखा खाता संख्या का विवरण आवेदन पत्र में देना आवश्यक है।

(2) पट्टे की अवधि

आवासीय भूखण्ड का आनंदन पट्टाघारिता के अधार पर किया जायेगा। आवंटित भूखण्ड की पट्टाघारिता प्रबन्ध के निष्पादन की लिंगि से 90 वर्ष का अवधि होती है।

### मुख्यण्ड का प्रीमियम :—

- आवटित किये जाने वाली भूखण्डों की दर आवटन पत्र जारी करत समय तो भी सेक्टर दर प्रदर्शित होगी, दर तो मास वित्तीय वर्ष 2010-11 की प्रदर्शित आवटन दर रुपये 11550/- - रुपये प्रति वर्गमीटर है।
  - उपर विनिर्दिष्ट भूखण्ड दर के अतिरिक्त आवारीय भूखण्डों की दिशा अवरिधति के कारण निम्न प्रकार से अतिरिक्त स्थानिक शुल्क दर्य होगा अ कोने पर रिथत भूखण्ड भूखण्ड के प्रीमियम का 5% ब पार्क/हरित पट्टी के समुच्च रिथत भूखण्ड भूखण्ड के प्रीमियम का 5% स 18 मी. से अधिक चौड़ी रस्ते पर रिथत भूखण्ड के प्रीमियम का 5% द यदि किसी भूखण्ड में उपरोक्त तीनो स्थानिक लाभ ही तो तीनो के लिए अधिकार भूखण्ड के प्रीमियम का 10% दर्य होगा अधोल किसी भी स्थिति में शुल्क 10% की सीमा से अधिक नहीं होगा।
  - भूमि प्रतिकर में किसी भी न्यायालय द्वारा की गयी वृद्धि की धनराशि आवटियो से दमुल की जायेगी।

(3) म-भाटक / पटटा किराया

भर्याएँ हक्क के प्रीमियम वो अतिरिक्त पटटाधारक निम्न विवरण अनसार वार्षिक भ-भाटक / पटटा किराया अदा करेग।

- पटटे की समय अवधि के प्रथम 10 वर्षों हेतु प्रीमियम का 1 प्रतिशत भू-भाटक/पटटा किराया देय होगा।
  - भू-भाटक में प्रत्येक 10 वर्ष के उपरान्त वृद्धि होगी जो पूर्व भू-भाटक की धनराशि से 50 प्रतिशत होगी। इस प्रकार नई दर भूवं भू-भाटक का डेंडर गुना अर्थात् 150 प्रतिशत होगी।
  - भू-भाटक का भुगतान प्रतिवर्ष अग्रिम करना होगा। प्रथम भुगतान भूखण्ड के पटटा प्रलेख निष्पादन के समय देय होगा। एव उसके बाद प्रति विस्तीर्ण वर्ष या उसके पूर्व देय होगा। भू-भाटक पटटा किराए के अग्रिम भुगतान में चुक की रिति में 10% वार्षिक घकवृद्धि व्याज जिसकी गणना अन्न वार्षिक आधार पर की जाएगी, देय होगा। भू-भाटक के भुगतान की जिम्मेदारी पूँजी रूप से आवटी/पटटापारक की होगी।

प्रथमा

बहुमान भ-भाटक वी दर पर 10 वर्ष का भ-भाटक आवंटी को एकमूलत के रूप में भखण्ड के पटठा प्रत्येक निष्पादन के समय जमा करना होगा

(4) भूगतान :

- पंजीकरण धनराशि उच्चत प्रतर (2) मे वर्णित तालिका मे वर्णित राशि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष मे नहीं दिल्ली/दिल्ली/नौएडा/ग्रेटर नौएडा की बैंक शाखा पर देय 'एकाउन्ट पैसी' बैंक ड्रॉपट/पै ऑर्डर के रूप मे या नकद जमा के फलस्वरूप प्राधिकरण के कैश काउन्टर द्वारा भिन्नत रसीद की प्रति सहित आयेदन पत्र के साथ सलान की जाएगी।
  - सफल आवेदकों को कुल प्रीमियम का 15% धनराशि आवंटन के रूप मे (पंजीकरण धनराशि के समायोजन के उपरान्त) आवंटन पत्रकारी द्वारा 75 दिनों के भीतर बिना ब्याज के जमा करने होंगे। 75 दिनों के भीतर आवंटन राशि का भुगतान न किये जाने पर आवंटन तथा पंजीकरण निवारण कर दिया जायेगा, एवं जमा पंजीकरण धनराशि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष मे जब्त कर ली जायेगी। विशेष परिस्थितियों मे आवंटन धनराशि जमा कराने की समय रीमा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उनके प्राधीकृत अधिकारी की संस्तुति पर अनुमत्य की जा सकती है। परन्तु विलम्ब की अवधि के लिये आवंटन धनराशि के रूप म देय धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज जिसकी गणना अद्वैतार्थिक आधार पर की जायेगी, देय होगा।

प्रत्येक वर्ष आवेदन पत्र के साथ जमा दिया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वालों को अधिकारी द्वारा बुखारण का दबाव दिया जाता है। इसका उल्लंघन करने वालों को अधिकारी द्वारा बुखारण का दबाव दिया जाता है। इसका उल्लंघन करने वालों को अधिकारी द्वारा बुखारण का दबाव दिया जाता है।

#### (5) उपलब्ध की प्रक्रिया

- संभवतः जमा दिया गया वर्ष के अधिकारी द्वारा बुखारण का दबाव दिया जाता है। इसका उल्लंघन करने वालों को अधिकारी द्वारा बुखारण का दबाव दिया जाता है। इसका उल्लंघन करने वालों को अधिकारी द्वारा बुखारण का दबाव दिया जाता है। इसका उल्लंघन करने वालों को अधिकारी द्वारा बुखारण का दबाव दिया जाता है।
- ऐसे आवेदक जो उपलब्ध भूखण्ड के संपर्क लिपिभासा सूची के आधार पर आवेदन करे तो वहाँ मैनुअल लाइट के उपलब्ध उनकी पूरी ही के उपचार भी देख सकते हैं। इसके लिये उनका उपलब्ध भूखण्ड के संपर्क लिपिभासा सूची के उपचार भी देख सकते हैं।
- यदि जमा राशि की अवधि एक वर्ष से अधिक होगी तो जमा राशि पर समृद्ध अवधि हेतु के प्रतिशत अथवा स्टैट बैंक आवेदक को आवेदन पत्र में आपस में खाता संख्या दिया जाएगा।
- पंजीकरण राशि पर व्याज की अवधि को मणना को प्रयोजन हेतु समय की मणना योजना की अंतिम तिथि से की जायेगी। अवेदक को आवेदन पत्र में आपस में खाता संख्या दिया जाएगा।

#### (6) समर्पण :

- आवेदक हासा लॉटरी से पूर्व पंजीकरण वापस लेने के इच्छुक होने की वशा में उसे यिना किसी कहाँसी के पंजीकरण धनराशि दिया व्याज के वापस कर दी जायेगी। तथापि पंजीकरण समाप्त होने के 3 माह तक ऐसी लोई प्रार्थना लौकाल भर्ती की जायेगी परन्तु अन्तिम वर्ष में यदि उनकी पंजीकरण वापस लेने के लिये उनकी अवधि हेतु के प्रतिशत अथवा स्टैट बैंक आवेदक को आवेदन पत्र में आपस में खाता संख्या दिया जाएगा।
- यदि आवेदन पत्र जारी होने के वापरत समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो पंजीकरण हासा आवेदक को समरत जमा धनराशि भू-गाटक पृष्ठ अन्य यिना प्रकार तो अप्रत्यक्ष आदि को देखा हुए। यिना किसी कठोरी के वापस कर दी जायेगी। तथा जमा राशि पर प्रार्थकरण हासा कई बार देय नहीं होगा।
- भूखण्ड के समर्पण हेतु आवेदन पत्र पर आवेदक के फोटो एवं हस्ताक्षर बैंक/राजपत्रित अधिकारी हासा सत्यापिता होने का दिया जाएगा।

#### (7) आवेदन की प्रविष्टियों में परिवर्तन :

आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात भूखण्ड कार्यपालक अधिकारी या उनके हासा प्राप्तिकृत अधिकारी की लिखित प्रावृत्ति के गिना पते में परिवर्तन के अतिरिक्त, कोई संशोधन नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र जमा करते समय उसमें उल्लिखित सूचनाओं के आधार पर आवेदन का निर्णय किया जायेगा। पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो पंजीकृत डाक हासा इसकी सूचना महाप्रबन्धक (आवारीय समर्पित प्रेटर नीडा प्राप्तिकरण को प्रेषित की जायेगी।) आवेदक/आवर्टी हासा अपने पुराने पते पर प्रेषित/प्राप्त पत्रों को नवीन पते पर पुनःप्रेषण (रिडायरेक्ट) विए जाने सबली व्यवस्था रखते कर्मी हेतु आवेदन पत्र की तिथि आवेदन राशि तथा किश्तों के भुगतान की अवधि यथावत् रहेगी।

#### (8) पट्टा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन :

आवर्टी को सूचित किए गए पत्र में वर्णित तिथि तक विधि प्रलेख का निष्पादन तथा भूखण्ड का कब्जा ग्रहण कराना होगा। यदि वह असफल रहता है तो उसे निर्धारित दर पर जुर्माना देय होगा तथा अधिकतम समयावधि पट्टा प्रलेख हेतु दी गई तिथि से तीन माह होगी। यदि आवर्टी बढ़ाई गई तिथि तक पट्टा प्रलेख निष्पादन/पंजीकरण तथा कब्जा ग्रहण करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में भूखण्ड निर्माण पूर्ण करने की अवधि के लिए भी आकलित की जायेगी। पट्टा प्रलेख के निष्पादन के तुरंत बाद ही भूखण्ड की वास्तविक कब्जा लेना हेतु आवेदन पत्र की तिथि यथावत् रहेगी। भू-गाटक भुगतान की देयता वित्तीय वर्ष से मानी जायेगी।

#### (9) भूखण्ड का क्षेत्रफल :

आवेदित अथवा हस्तगत भूखण्ड का क्षेत्रफल योजना में वर्णित तथा आवेदित क्षेत्रफल से मिल हो जाता है। यदि प्राप्तिकरण हासा जारी आवेदन के आवर्टन पर परिवर्तित प्रीमियम देय होगा। साइट प्लान के आधार पर अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल का आवेदन वर्ता भूमि आवर्टी को ऑफर की जाए अथवा पृथक भूखण्ड के रूप में निष्पादित करने का निर्णय पूर्णतः प्राप्तिकरण का होगा। इस पर किसी आवर्टी का धनराशि जमा न किये जाने की दशा में उक्त अवधि हेतु 10% वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज जिसकी गणना अधिवार्षिक आधार पर की जायेगी, देय होगा। पंजीकरण धनराशि को इस आधार पर वापसी हेतु आवेदन का कोई अधिकार न होगा। आवेदित क्षेत्रफल धनराशि तथा आवेदित क्षेत्रफल में 20% अवर्टन पत्र/सूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर धनराशि वापिस करने की मांग करता है तो प्राप्तिकरण हासा राम्पूर्ण जमा पंजीकरण

#### (10) जौसे हैं जहाँ हैं के आधार पर :





## प्रतिक्रिया अनुमति के लिए आवेदन पत्र

(यह अनुमति के लिए आवेदन पत्र का एक हिस्सा है। इसकी विवरों का ध्यानपूर्ण अध्ययन करें।)

(i) Date of Joining Service of G.Noida & Noida / ग्रेटर नोइडा और नोइडा सेवा की शुरूआत की तिथि (दिन-महीना-वर्ष)

(ii) Date of Joining Service of NOIDA & Code No. / नोइडा में जोड़ा गया दिन तथा उसका कोड नंबर

(iii) Designation & Department / कार्यालय का नाम तथा विभाग

(iv) Scale & Grade Pay in Rs (Revised Scale) as applicable / वेतनमात्रा एवं मूल शेड-में लागी (पुनर्वितरण वेतनमात्रा) जो चाहूँ ती

(B) If spouse is also regular employee of Noida/ G.Noida / यदि पति/पत्नी भी नोइडा/ ग्रेटर नोइडा प्राधिकरण के नियमों के अनुसार नियमित कर्मचारी हैं। (i)

(i) Name, Designation & Department of Spouse / पति/पत्नी का नाम, विभाग तथा विभाग

(ii) Date of Joining Service of NOIDA & Code No. / नोइडा में जोड़ा गया दिन तथा कोड नंबर

(iii) Scale & Grade Pay in Rs (Revised Scale) as applicable / वेतनमात्रा एवं मूल शेड-में लागी (पुनर्वितरण वेतनमात्रा) जो चाहूँ ती

12. Documents Attached / संलग्न दस्तावेजों का विवरण

1. नगद जमा घनराशी की रसीद/ डी.डी./प-आईर की मुद्राप्रति।

2. पहचान पत्र की छायाप्रति।

3. नोएडा/ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय विभाग द्वारा जारी अहुता प्रमाण पत्र (अनिवार्य)।

### Declaration

I hereby declare that the above information is true to the best of my knowledge. Nothing has been concealed and no part of it is false. I further declare that I have carefully read and understood the terms & conditions of the scheme for residential plot and do hereby agree to abide by the same. the Authority has full right for exercising cancellation, if My wife have not been allotted any plot in Noida/ Greater Noida before this.

### धोपणा

मैं एक द्वारा घोषणा करता/ करती हूं कि जोटीकल युवती गर्ले जनकाली में सत्य है, इसमें कुछ भी दिपाया नहीं गया है और हमारा कोई भय आसान भी नहीं है। मैं धोपणा जरता/ करती हूं कि मैं नोइडा/ ग्रेटर नोइडा में अपनी घनराशी की भवित्वात् यदि यह शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया है तथा एक द्वारा योजना में दूसरे सहमत तथा बाध्य हूं। यदि ऐसे द्वारा योजना की नियम तथा शर्तों का उल्लंघन/मिथ्यालापन पाया जाता है तो प्राधिकरण को अवैदेन पत्र/ आवार्ट खुल्जड को निरस्त करने का पूरी अधिकार होगा /मुझे/ मेरी पत्नी को नोएडा/ ग्रेटर नोएडा में पूर्व में कोई भुखेड़ आवृत्ति नहीं किया गया है।

Date : \_\_\_\_\_ Signature/Thumb Impression of applicant(Duly attested by Banker/ Gazetted Officer)  
आवेदक के हस्ताक्षर / अमृत का निशान(राजपत्रिन् प्रधिकारी/ बैंक प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित)

### पावती

स्तुति आवार्टीय योजना (इ0एम0पी0-02) के अन्वयोन अवैदेन पत्र सम्बन्धी  
द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोइडा प्राधिकरण की ओर से दिया गया नियमों के साथ ग्राहक लिया।

- (1). नगद रसीद तंत्रिका/ डी.डी./प-आईर संख्या: ..... दिनांक: ..... भारतीय रुपये: ..... घनराशी की रसीद
- (2). प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र।
- (3). कार्यालय विभाग द्वारा जारी अहुता प्रमाण पत्र।

पहाप्रबन्धक (आवार्टीय रामपति) / कार्यालय पहाप्रबन्धक (आवार्टीय रामपति)